

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक

660

/ 121

दिनांक, चम्पावत

29-2020

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

जिला योजना के अन्तर्गत तवामोड़-कोटअमोड़ी मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव सं० 36039/2019 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका ई0डी0एस0 का दिनांक 16.06.2020..

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित आपत्ति के क्रम में प्रस्तावत विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर वांछित सूचना /आख्या निम्न प्रकार प्रेषित हैं:-

क्रम सं०	आपत्तियां	निराकरण
1	Area mentioned in village wise breakup at B-2.3 and component wise breakup at B-2.4 are mismatch in figure in Form A, part I. please rectify accordingly.	उक्त मार्ग में एक ही ग्राम अमोड़ी लाभान्वित हो रहा है। जिसमें 0.455 हे० सिविल भूमि कोट अमोड़ी की प्रभावित हो रही है तथा 0.11 हे० मलुवा निस्तारण कुल 0.565 हे० का वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसे बी-2.3 एवं बी-2.4 में मिलान कर फार्म ए पार्ट -1 में अंकित कर दिया गया है।
2	Since felling of the baj tree involve in this proposal, hence conservator s sir is reuired kindky upload SIR at para -15 form A, part II	मार्ग में बाँज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वन संरक्षक स्तर से कार्यवाही होनी है।
3	NOC of villages has been uploaded in the place of tree list as in Form A, part II	संसोधित पेड़ों की सूची पार्ट 2 में आपलोड कर दी गयी है।
4	Original copy of the request documents (As per the points mentioned above) may be submitted	प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक 1483/2सी० दिनांक 26.09.2018 द्वारा प्रस्तावक हार्ड कापी नोडल कार्यालय में 3 प्रतियों में प्रेषित किया है।
5	User agency may upload / provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, part I	मार्ग की के०एम०एल० फाईल में लाभान्वित ग्राम कोट अमोड़ी दर्शाया गया है। जिसे फार्म ए पार्ट 1 में अपलोड किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

& Fax No. 05965-230034

E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 853/2 सी०

दिनांक :- 20/07/2020

विषय:- जिला योजना के अन्तर्गत तवामोड़-कोटअमोड़ी मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव संख्या (36039/2018)

संदर्भ:- ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 16.06.2020

Area mentioned in Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 are mismatch in figure in Form A, Part I. Please rectify accordingly.	उक्त मार्ग में एक ही ग्राम कोट अमोड़ी लभान्वित हो रहा है। जिसमें 0.455 हे० सिविल भूमि कोट अमोड़ी की प्रभावित हो रही है तथा 0.11 हे० मलुवा निस्तारण कुल 0.565 हे० का वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसे बी-2.3 एवं बी-2.4 में मिलान कर फार्म ए पार्ट- I में अंकित कर दिया गया है।
Since felling of the banj tree involve in this proposal, hence Conservator's SIR is required. Kindly upload SIR at Para-15 in form A, Part II.	मार्ग में बाँज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड किया जा रहा है।
NOC of villages has been uploaded in the place of Tree list as in Form A, Part II.	पार्ट- II में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग चम्पावत से सुधार किया जाना है।
Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted	इस कार्यालय के पत्रांक 1483/2 सी० दि० 26.09.2018 द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रति नोडल कार्यालय में 3 प्रतियों में उपलब्ध करा दी गयी है।
User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	मार्ग की के०एम०एल० फाइल में लभान्वित ग्राम कोट अमोड़ी दर्शाया गया है। जिसे फार्म ए पार्ट I में अपलोड किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न:- उक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

ना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत जिला योजना में स्वीकृत टवामोड़ से कोट अमोडी तक मोटर मार्ग लम्बाई-1.000कि०मी० का नव निर्माण।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र


प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अघोहरताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं :-


कसं	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक / कम्पार्ट मेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
					10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	सिविल सोयम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	संरक्षित वन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग :-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों में बाँज वृक्षों प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह०/-वन संरक्षक,


01/02/20


वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र


वन प्रशासक वनाधिकारी
चम्पावत


वन प्रशासक वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

& Fax No. 05965&230034
E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :-/
सेवा में,

दिनांक :-/ 09/2018

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत टवामोड़ से कोटअमोड़ी तक मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या— FP/UK/Road/36039/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत टवामोड़ से कोट अमोड़ी तक मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या— FP/UK/Road/36039/2018 ऑनलाईन उपरान्त हार्ड प्रति 3-3 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्गों में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न:- प्रस्ताव की हार्ड प्रति 3प्रतियों में।

भवदीय,

(इं०डी०डी०भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि० चम्पावत
दिनांक :- 26/09/2018

पत्रांक :- 1483/2 सी०

प्रतिलिपि - वन भूमि पत्रावली हेतु

प्राप्त
रक्षक
4/10/18

अधिक प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग देहरादून

(इं० डी०डी०भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि० चम्पावत